


इन्दौर के समक्ष

क्र. 280-1114

15



सुरजनसिंह पिता स्व. मोरसिंह

आयु - 63 वर्ष, धंधा - कृषि एवं व्यापार,

निवासी - 154, बैराठी कालोनी नं. 2, इन्दौर

--- प्रार्थी

विरुद्ध

श्री सुरजनसिंह
वार्डी/अभिप्रायक द्व. दिनांक 23-12-2013
को प्रस्तुत

श्याम
करीम

अर्थात् अर्थात्
इच्छा है
दिनांक 23-12-12
को प्रस्तुत

1. म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कार्यालय इन्दौर म.प्र.

9/4/23-12-2013

2. श्रीमान तहसीलदार महोदय,

तहसील कार्यालय, तहसील सांवेर जिला इन्दौर म.प्र.

30/12/12

3. श्याम कुमार पिता हरिराम हरियाणी

निवासी - 23, साधु नगर, इन्दौर म.प्र.

4. महेश कुमार पिता हरिराम हरियाणी

निवासी - 23, साधु नगर, इन्दौर म.प्र.

--- प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन पत्र पुनर्विलोकन हेतु म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 51

सहपठित धारा 32 के अंतर्गत

2-1-14

मान्यवर महोदय,

निगरानी 2080/13 राजस्व मंडल ग्वालियर कम्प इन्दौर के आदेश दिनांक 22.11.2013 से दुखी होकर यह पुनर्विलोकन का आवेदन निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया जाता है :-

पुनर्विलोकन के आधार :-


1. यह कि, प्रतिप्रार्थी कं. 3 व 4 द्वारा अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय में जो अपील पेश की गई है, दिनांक 26.08.2010 को उसमें विक्रय पत्र का दिनांक 23.12.95 उल्लेखित किया गया तथा नामांतरण पंजी में विक्रयपत्र का दिनांक 28.12.95 लेख किया गया है तथा जिला पंजीयक कार्यालय में यह

श्री

श्री

Q. 5. 16

आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक प्रकरण में रूचि नहीं ले रहे हैं क्यों कि जब से यह प्रकरण दायर किया है वह इस प्रकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण एवं रूचि नहीं लेने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।


सदस्य

R
12